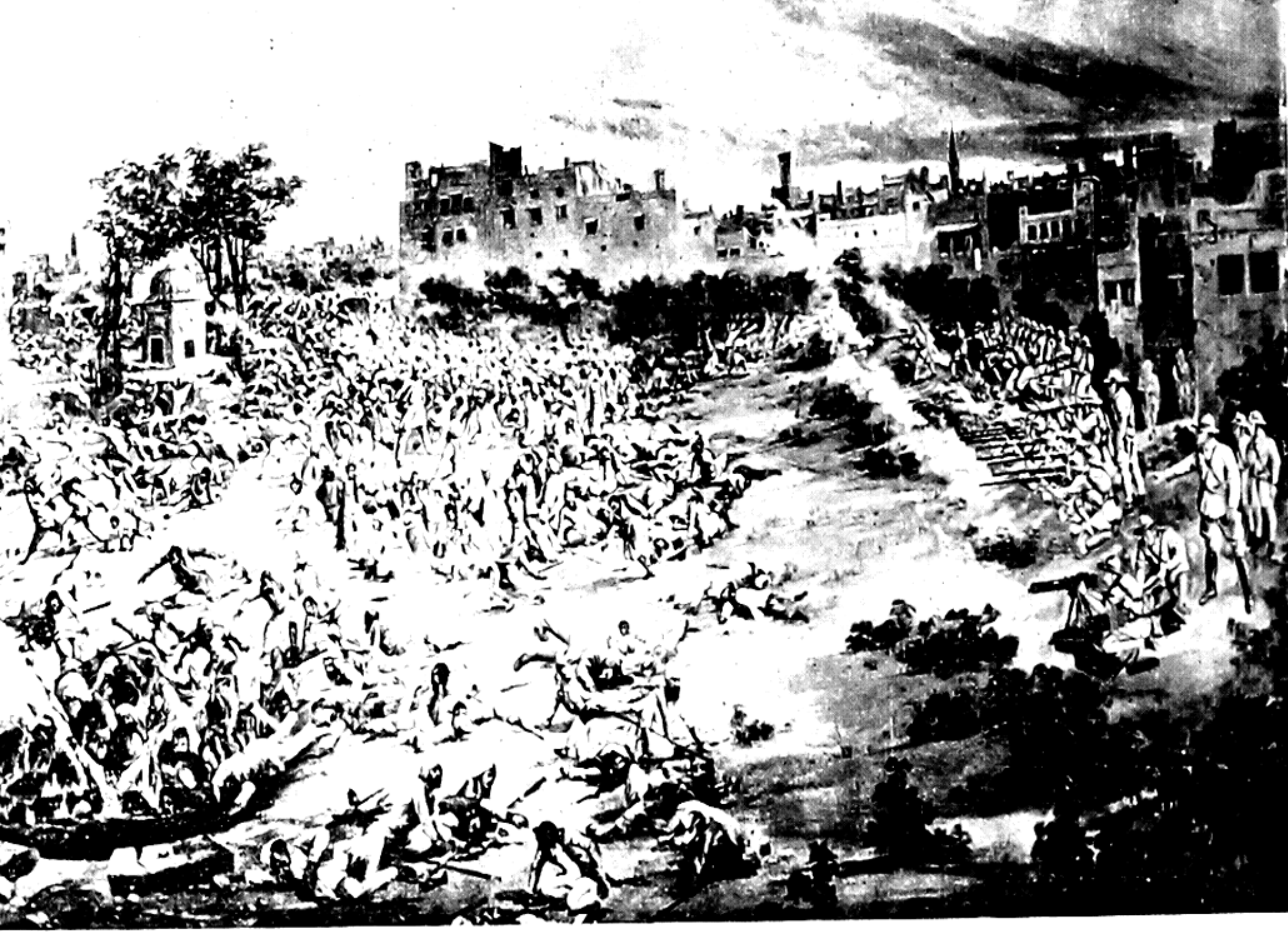
जलियांवाला बाग

[13 अप्रैल 1919]

जिसे हम भूल नहीं सकते

प्रकाशन विभाग
सूचना, प्रसारण और संचार मन्त्रालय, भारत सरकार



जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड (चित्रकार : गुरदीतसिंह)

13 अप्रैल 1969

जलियांवाला बाग हत्याकांड के पचासवें वर्ष-दिवस के अवसर पर

मूल्य : एक रुपया

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना, प्रसारण और संचार मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।

वह युगान्तरकारी वर्ष

सन 1919 ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्षों में से एक है। सन 1857 के बाद, 1919 में पहली बार भारत में ब्रिटिश सत्ता को राष्ट्र के द्वारा फिर चुनौती दी गई और ब्रिटिश अधिकारियों ने देश में ब्रिटिश प्रतिष्ठा को फिर से जमाने के लिए दमन के भीषण उपायों से काम लिया। लोगों के हृदय में आतंक जमाने के लिए एक ब्रिटिश जनरल ने सहस्रों निहत्थे नागरिकों पर उस समय तक गोली चलाने के लिए अपने सैनिकों को आज्ञा दी जब तक कि उनकी गोलियां ही समाप्त न हो जाएं। ये लोग एक घेरे में फंसे हुए थे और उससे बाहर निकलने का केवल एक ही संकरा मार्ग था, जिधर से कि गोलियां चलाई जा रही थीं। इस भीषण हत्याकाण्ड के फलस्वरूप सिखों का पवित्र तीर्थ, अमृतसर का जलियांवाला बाग लाशों से पट गया। प्रान्त के पांच जिलों में फौजी कानून लागू कर दिया गया। लोगों को आतंकित करने के लिए हवाई जहाजों को काम में लाया गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने फौजी कानून को पूर्ण बर्बरता के साथ लागू किया।

जलियांवाला बाग के इस नृशंस हत्याकाण्ड के नायक जनरल डायर ने बाद में सरकारी जांच समिति के सामने बड़े साफ शब्दों में कहा था—"मैं भीड़ को भगाना नहीं, मारना चाहता था। मैं सारे पंजाब की जनता को एक सबक सिखाना चाहता था।"

जनता को सबक सिखाने की यह इच्छा अकेले जनरल डायर की ही नहीं उस समय के प्रत्येक अंग्रेज अफसर की भी थी और सबसे ज्यादा छटपटा रहा था हिन्दुस्तानियों को सबक सिखाने के लिए, उस समय का पंजाब का गवर्नर सर माइकेल ओडायर। रौलट बिल के खिलाफ गांधी जी के कहने पर जिस तरह हिन्दू-मुसलमान-सिख सब ने एक होकर पूरी हड़ताल की उससे ओडायर एकदम बौखला उठा। उसने इसको अहिंसात्मक आन्दोलन के रूप में नहीं, बल्कि 1857 के विद्रोह के रूप में देखा और बड़े घमण्ड से यह कहा कि ब्रिटिश सरकार जो विदेशी दुश्मनों को कुचल चुकी है इन आन्दोलनकारियों को भी कुचल कर रख देगी। उसने यह भी कहा कि याद रखो गांधी के आत्मबल से भी बड़ी एक ताकत है।

और 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में इन्हीं दो ताकतों की वह लड़ाई छिड़ी जिसने भारत का भाग्य बदल दिया। यह लड़ाई थी गांधी जी के आत्मबल से प्रेरित भारत की—जनता और पशु-बल से प्रेरित ब्रिटिश साम्राज्य की संगीनों के बीच, जिसका अन्त हुआ भारत की आजादी में।

जलियांवाला बाग इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह गांधी जी को भारतीय राजनीति के मैदान में ले आया। यद्यपि गांधी जी दो साल पहले ही भारत आ चुके थे और चम्पारन तथा खेड़ा में किसानों के आन्दोलन का नेतृत्व कर चुके थे पर उस समय तक वह अपना पथ निश्चित नहीं कर पाए थे। अंग्रेजों की नेकनीयती पर से उनका विश्वास नहीं हटा था। वह महायुद्ध के समय

अंग्रेजों को, जब वे संकट में फंसे हुए थे और जर्मनी से अपने जीवन-मरण की लड़ाई लड़ रहे थे, परेशान नहीं करना चाहते थे। बल्कि वह उनकी मदद के लिए अंग्रेजी फौज में हिन्दुस्तानी रंगरूटों की भर्ती भी करा रहे थे।

अंग्रेजों के लिए इतिहास में यह सबसे बड़े संकट का समय था और उस युद्ध में हिन्दुस्तानियों ने धन और जन से इंग्लैण्ड की पूरी सहायता की। करोड़ों रुपये और लाखों रंगरूट अंग्रेजों की रक्षा के लिए दिए। अंग्रेजों का यह दावा था कि वे यह लड़ाई लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई के बाद छोटे से छोटे देश को भी अपने भाग्य निर्णय का अधिकार मिलेगा। स्वभावत: इससे भारतीयों की यह आशा बहुत बढ़ गई थी कि उनकी मदद के बदले इंग्लैण्ड उनको स्वशासन देगा।

सन 1917 में जबकि इंग्लैण्ड की स्थिति बहुत नाजुक थी और उसे भारत की सहायता की पूरी जरूरत थी ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि हमारा लक्ष्य धीमे-धीमे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हिन्दुस्तानियों को स्वराज्य देना है। और इसके लिए हिन्दुस्तान के लोगों को उनके देश के शासन के हर अंग में अधिक से अधिक हिस्सा दिया जाएगा।

लेकिन लड़ाई जीतते ही अंग्रेजों की आखें बदल गई, सारे वायदे भुला दिए गए। **जातीय अहमण्यता फिर चमकने लगी और बड़े-से-बड़े उच्चस्तर के सम्भ्रांत भारतीय को अपमानित करने में भी अंग्रेज नहीं चूकने लगे। उन्हीं दिनों कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मिस्टर हसन इमाम जैसे सम्भ्रांत व्यक्ति को मिस्टर किलेटन नामक अंग्रेज ने गालियां दीं और मारपीट की। ऐसी घटनाओं से भारतीयों में रोष जाग्रत होना स्वाभाविक था।**

लड़ाई के दौरान देश में भारत रक्षा कानून लागू था और खासकर पंजाब में माइकेल ओडायर ने युद्ध ऋण की वसूली में और रंगरूटों की भर्ती में बहुत जुल्म ढाए थे। हिन्दुस्तान को आशा थी कि लड़ाई की समाप्ति के बाद काले कानून हटा लिए जाएंगे मगर इसके बजाय ब्रिटिश शासन ने इस बहाने पर कि पंजाब में अराजकता और राजद्रोह का दौरदौरा है, रौलट बिल पास करके और कड़े कानून बनाने चाहे।

इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब की जनता में बड़ी बेचैनी थी। पंजाब में ही नहीं सारे भारत में राजनीतिक जागृति फैल चुकी थी। ऐनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक होम रूल के लिए आन्दोलन कर रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर अधिकारों की मांग कर रही थीं। इसके साथ-साथ बंगाल और पंजाब में क्रांतिकारी आन्दोलन भी चल रहा था। लाला हरदयाल और अन्य देशभक्त विदेशों में शस्त्र इकट्ठा करके हिन्दुस्तान में विद्रोह कराना चाहते थे। कनाडा में बसे हिन्दुस्तानियों पर तरह-तरह की पाबन्दियां लगाई जा रही थीं। कोमागाता मारू जहाज पर सवार होकर करीब 300 पंजाबी सिखों ने सीधे कनाडा जाना चाहा था। इस जहाज को वहां लगने नहीं दिया गया और हिन्दुस्तान वापस लौटा दिया गया। जहाज पर सवार सैकड़ों आदमियों में से बहुत-से नजरबन्द कर लिए गए। जो थोड़े-बहुत बच निकले पंजाब में वापस पहुंचे और वहां के लोगों को अपनी दुर्दशा का हाल सुनाया।

उधर देश के मुसलमानों में भी बड़ी बेचैनी थी। तुर्की और उसका खलीफा दुनिया के मुसलमानों के मुखिया माने जाते थे। लड़ाई में तुर्की जर्मनी की तरफ था और हारे हुए तुर्की को खण्ड-खण्ड करने की तैयारी हो रही थी। इससे मुसलमान क्षुब्ध थे और इसी क्षोभ ने बाद में खिलाफत आन्दोलन को जन्म दिया। इस तरह सारे देश में असन्तोष फैला था और इस असन्तोष की आग में और घी डाला पंजाब में माइकेल ओडायर के क्रूर और निरंकुश शासन ने। जो रही सही कसर थी वह रौलट बिल ने पूरी कर दी।

काला कानून

काले कानून के नाम से कुख्यात रौलट बिलों के पास होने से पूरे देश में भयानक प्रतिक्रिया हुई। 1917 के अन्त में न्यायाधीश एस० ए० टी० रौलट की अध्यक्षता में 'भारतीय राजद्रोह कमेटी' नियुक्त की जा चुकी थी जिसने अपनी रिपोर्ट सन 1918 में दी। सरकारी प्रमाणों को आधार मान कर इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि युद्धकाल के लिए जारी किए गए 'भारत रक्षा विधेयक' के समाप्त होने के बाद, क्रान्तिकारी 'अपराधों' से निपटने के लिए कुछ विशेष प्रकार के दण्डात्मक एवं प्रतिबन्धात्मक कानून बनाए जाने चाहिएं। रौलट कमेटी की सिफारिश के अनुरूप, ये दो कानून सरकार द्वारा बना दिए गए। 'अराजकतापूर्ण और क्रान्तिकारी अपराध विधेयक' नाम से यह काले कानून सरकारी मतानुसार 'अराजकता एवं क्रान्ति से जन-जीवन व जन-सम्पत्ति की रक्षा करने' के लिए बनाए गए थे पर इनका वास्तविक उद्देश्य था सार्वजनिक अधिकारों और भारतीय राजनीतिक जीवन का दमन करना मात्र। इनमें राजनीतिक लोगों और क्रान्तिकारियों को बिना सबूत के गिरफ्तार करने और शीघ्रता से गुप्त न्यायालयों में सज़ा देने की, वकील की सहायता न ले सकने, केवल सन्देह मात्र पर नजरबन्द कर सकने की 'विशेष' व्यवस्थाएं थीं। यही नहीं, किसी भी स्थान की तलाशी और बिना वारंट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेने और तीन वर्षों तक उसे 'किसी स्थान में गुप्त रूप से कैद करने' की व्यवस्था इन काले कानूनों में की गई थी। 'न वकील, न दलील, न अपील' यही इसका मतलब था।

स्पष्ट था कि सारा देश इन काले कानूनों का विरोध करने को उठ खड़ा हुआ। असन्तोष, विरोध और क्षोभ के बादल चारों ओर दिखाई देने लगे। सरकार को उचित चेतावनी देते हुए सर तेजबहादुर सप्रू ने कहा था—श्रीमान्, सारे देश में रोष छाया हुआ है, विभिन्न स्थानों पर विरोध सभाएं हो रही हैं ...... इस नीति से देश एक भयंकर आंदोलन के भंवरों में फंस जाएगा।

उन्हीं दिनों जब तत्कालीन भारतीय विधान परिषद में इन काले कानूनों पर विवाद हो रहा था, महात्मा गान्धी ने वाइसराय को पत्र लिखा था—सरकारी नीति के कारण मेरे लिए सत्याग्रह के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह गया है।

सरकार को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि न केवल कौंसिल के बाहर अपितु अन्दर भी कड़े विरोध का रुख है।

कांग्रेस ने तो स्पष्ट घोषित कर दिया था कि यह कानून अत्यन्त प्रतिक्रियावादी है और यदि इस पर अमल किया गया तो शासन सुधारों को व्यावहारिक रूप देने में बाधाएं उत्पन्न होंगी। जब तक वे प्रचलित रहेंगे, देश में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती।

भारतीय प्रतिनिधियों ने बिलों का डट कर विरोध किया। पं० मदनमोहन मालवीय, श्री विट्ठलभाई पटेल, मि० मुहम्मद अली जिन्ना, श्री मजरुल हक और श्री श्रीनिवास शास्त्री आदि ने सरकार को समझाने का घोर प्रयत्न किया, पर सरकार अपनी हठ पर अड़ी रही।

रौलट बिल का पास करना, अर्द्ध सुषुप्त भारतवासियों की छाती पर जोर का घूंसा था। अंग्रेजी सरकार के इस कृत्य ने देश को पूरी तरह से जगा दिया।

यह घटना 22 मार्च 1919 की है। उस दिन महात्मा गांधी मद्रास में थे और अपने सुहृद श्री राजगोपालाचारी के यहां ठहरे हुए थे। रौलट बिल पास होने के दूसरे दिन प्रातःकाल गांधी जी ने श्री राजगोपालाचारी को बताया--"पिछली रात स्वप्न में मेरे मन में यह विचार आया कि हमें सारे देश से सार्वजनिक हड़ताल करने के लिए कहना चाहिए। सत्याग्रह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है, हमारा संघर्ष पवित्र है और मुझे यह उचित लगता है कि उसका शुभारम्भ आत्मशुद्धि के किसी कार्य से किया जाए। अतः सारे भारतवासी उस दिन अपना कामकाज छोड़ कर उपवास और प्रार्थना करें।"

श्री राजगोपालाचारी तथा अन्य नेताओं ने उस पर विचार किया और फिर महात्मा गांधी ने एक पत्र द्वारा उसे सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया। हड़ताल के लिए 30 मार्च का दिन नियत किया गया पर बाद में तिथि बदल कर 6 अप्रैल कर दी गई।

अतः 6 अप्रैल को इस देश में पहली बार सर्वत्र और व्यापक हड़ताल हुई।

दिल्ली में हड़ताल की तिथि बदलने की सूचना ठीक समय पर न पहुंची इसलिए वहां 30 मार्च को ही हड़ताल हो गई। रेलवे स्टेशन के पास गोलियां चलीं और जलूस का नेतृत्व करते हुए स्वामी श्रद्धानन्द को गोरों ने गोली मार देने की धमकी दी, जिस पर उन्होंने अपना सीना खोल दिया। दिल्ली की हड़ताल की और अन्य सब जगह की हड़तालों की विशेषता थी हिन्दू और मुसलमानों में पूरी एकता।

देश के साथ ही, पंजाब के सारे नगरों में 6 अप्रल को पूर्ण हड़ताल हुई। अमृतसर में 30 मार्च और 6 अप्रैल को पूर्ण शान्त हड़ताल थी। मगर वहां के दो स्थानीय जननेताओं--डा० सत्यपाल और डा० किचलू को, जिले के डिप्टी कमिश्नर द्वारा सार्वजनिक सभाओं में बोलने से रोक दिया गया था, यद्यपि हड़तालों में कोई उपद्रव नहीं हुआ था।

9 अप्रैल को रामनवमी थी। उस दिन एक विराट जलूस निकाला गया जिसमें हिन्दू-मुसलमान-सिख सभी सम्मिलित हुए। उस दिन भी पूर्ण शान्ति रही और किसी भी यूरोपियन से छेड़-छाड़ नहीं की गई। मगर जनता द्वारा इतनी एकता का प्रदर्शन और अंग्रेजी राज्य का घोर विरोध देख कर डिप्टी कमिश्नर घबड़ा गया और उसने ले० गवर्नर सर माइकेल ओडायर की सलाह से विद्रोह को दबाने का निश्चय कर लिया। बड़ी चालाकी से और युद्ध के समान व्यापक तैयारी करके डा० सत्यपाल और डा० किचलू को अपने निवास पर आमन्त्रित किया और धोखे से वहीं गिरफ्तार करके उन दोनों को फौजी गाड़ी में ले जाकर धर्मशाला शहर में नज़रबन्द कर दिया।

दोनों नेताओं के निर्वासन का समाचार सारे शहर में बिजली की तरह फैल गया। नागरिकों की भारी भीड़, नेताओं की रिहाई की मांग लेकर डिप्टी कमिश्नर के निवास की ओर बढ़ने लगी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार "किसी के पास लाठी अथवा अन्य कोई हथियार न था और रास्ते भर उन्होंने एक भी अंग्रेज से छेड़-छाड़ नहीं की।"

रेल के फाटक के पास इस भीड़ को रोका गया। पुलिस और फौजी दस्ते बाकायदा मोर्चा लगाए हुए शांत एवं निहत्थे जन-समुदाय पर संगीनें ताने खड़े थे। 'फरियाद' लेकर जानेवाले किसी जलूस का ऐसा अशिष्ट स्वागत विश्व में अन्यत्र न हुआ होगा। 'हिन्दू मुसलमान की जय', 'गांधी जी की जय' और 'हमारे नेताओं को रिहा करो' के शान्त नारे लगानेवाली भीड़ पर अंग्रेजों ने निर्दयता-

पूर्वक गोली चलाई । घटनास्थल पर कम से कम 20 व्यक्ति शहीद हुए । यद्यपि यह संख्या 30 तक भी बताई जाती है, सैंकड़ों ही घायल हुए ।

पर निहत्थी भीड़ बन्दूकों के सम्मुख डटी न रह सकी । लोग पीछे हटे, पर अब सभी शान्त न रह सके । निर्दोष नागरिकों की हत्या ने शहर भर में आग लगा दी । अब जो भीड़ लौटी और रास्ते में कोई भी अंग्रेज मिला, तो उसकी खैर नहीं थी । रास्ते में दो यूरोपियन---स्त्री व पुरुष---को पीटा गया । नेशनल एण्ड एलायेंस बैंक में आग लगा दी गई । उसका अंग्रेज मैनेजर भी मार डाला गया । टाउन हाल व अन्य सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई । मिस शेरवुड नामक एक अंग्रेज मिशनरी को अधमरा कर गली में फेंक दिया गया, जहां से बाद में कुछ नागरिकों ने उसे अस्पताल पहुंचाया ।

यों तो सारे पंजाब में विरोध प्रदर्शन उग्र हो रहा था, मगर अमृतसर तो मानो इस पाशविक गोलाबारी से सन्न ही रह गया । 11 और 12 अप्रैल को न एक भी दूकान खुली न कोई काम-काज हुआ । मृतकों की दाहक्रिया के बाद, एक विशाल जलूस निकाला गया । एकदम शान्त और क्रोध में गम्भीर नागरिकों का ।

अंग्रेज अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए थे, उन्होंने नगर का प्रबन्ध सेना को सौंप दिया ।

उसी दिन जनरल डायर ने नागरिक अधिकारियों से अमृतसर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया । फौजी आतंक फैलाने की दृष्टि से उसने व्यापक गिरफ्तारियां शुरू कीं और बाजारों में फौजी मार्च कराए । स्थान-स्थान पर तोपें खड़ी कर दीं । शहर में पानी के नलों व बिजली के कनेक्शनों को काट दिया गया । 12 अप्रैल को नगर में सार्वजनिक सभा और जलूस निकालने की मनाही कर दी गई और सरकारी कथनानुसार "आवश्यक एलान भी करा दिया ।" यद्यपि हंटर कमेटी ने लिखा है कि "शहर के बहुत-से भागों में घोषणा नहीं की गई ।"

दूसरी ओर 12 अप्रैल की शाम को ही इस बात की सार्वजनिक सूचना दी गई कि 13 अप्रैल को शाम 4½ बजे जलियांवाला बाग में एक सभा होगी, जिसमें अपने नेताओं की रिहाई के लिए मांग की जाएगी । सरकारी नीति व कार्रवाई पर असन्तोष प्रकट किया जाएगा ।

इस सभा की सूचना जनरल डायर को 13 अप्रैल की दोपहर को 12-1 बजे के बीच में मिल चुकी थी । मगर उसने सभा को रोकने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया । यदि वह चाहता तो जलियांवाला बाग की ओर जानेवाली संकरी गलियों में एक-दो सिपाही खड़ा कर, सभा में जानेवालों को रोक सकता था । बहुत-से आदमियों को तो यह पता भी नहीं था कि सभा में जाना गैर-कानूनी है या वहां गोली चलाई जाएगी । ऐसे हजारों लोग केवल आगाह किए जाने भर से उस सभा में नहीं जाते ।

मगर जनरल डायर यह सब करने के बजाय, फौजी तैयारी करने, बढ़िया सैनिकों को छांटने में लगा रहा । बढ़िया बन्दूकों और मशीनगनों की तलाश में इस तरह लगा रहा, मानो अभी-अभी जर्मनी के मोर्चे पर कमान संभालनी है । सभा भंग करना या सभा को न होने देना उसका मंतव्य नहीं था, वह तो इस अवसर का लाभ उठा कर पंजाब को ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान को एक सबक सिखाना चाहता था ।

एक भी जीवित न छोड़ूंगा

रविवार, वैशाखी का त्यौहार, 13 अप्रैल सन 1919। स्थान : अमृतसर का जलियांवाला बाग—पवित्र स्वर्ण मन्दिर के निकट। समय : शाम साढ़े 4 बजे।

आगे-आगे घुड़सवार पुलिस, फौजी गाड़ी में बैठा जनरल डायर और उसके पीछे मशीनगनों और तोप ले जाने वाले फौजी वाहन और उससे पीछे मार्च करती हुई अंग्रेजी फौज। शस्त्रास्त्रों से लैस। नपे-तुले बूटों की सरसराहट। हाल्ट के आदेश पर बूटों का कर्णभेदी निनाद हुआ।

आगे जलियांवाला का महज 8 फुट चौड़ा फाटक था। मशीनगनें इस संकरे दरवाजे के अन्दर नहीं ले जाई जा सकती थीं। अतः उन्हें बाहर छोड़कर अंग्रेजी फौज दो पंक्तियों में उस द्वार के अन्दर घुसी और अन्दर जलियांवाला बाग में बाईं और दाईं ओर मोर्चे लगाने लगी। घुटने झुकाकर, बन्दूकों में कारतूस भरने की आवाज।

'आ गए, आ गए। वह फौज आ गई' की फुसफुसाहट सारे मैदान में फैल गई और बिना कोई चेतावनी दिए जनरल डायर ने आज्ञा दी—"फायर!"

दूसरे ही क्षण थ्री नाट थ्री की राइफलें गोलियां बरसाने लगीं। 25 हजार नागरिकों की शान्त और निहत्थी सभा इस अकारण हुए आक्रमण को देखकर स्तब्ध रह गई। लेकिन तब सैंकड़ों हताहतों की चीख पुकार, लहुलुहान कपड़े और धरती। भयाक्रान्त नागरिक इधर-उधर प्राणरक्षा के लिए भागने लगे।

ऊपर एक हवाई जहाज गड़गड़ा रहा था। पाशविक सत्ता का प्रतीक, अंग्रेजी राज्य की निष्ठुर सत्ता का ज्वलन्त चिह्न। नीचे आठ एकड़ के चौकोर भूमि के इस टुकड़े पर, जो चारों ओर से कई मंजिला इमारतों से घिरा हुआ था, एकत्रित हजारों निरीह युवा-बाल-वृद्ध। बाहर निकलने के एकमात्र द्वार के पास फौजी पहरा और उधर से ही ऊंचे चबूतरे पर से गोली बरसाती अंग्रेजी फौज। दूसरा कोई रास्ता नहीं। मृत्यु की सन्देशवाहक गोलियां ओलों की तरह बरस रही थीं। लगातार बिना एक क्षण रुके।

अभी-अभी मंच से वक्ता ने कहा था—"भाइयो शान्त रहो। चुपचाप सभा में बैठे रहो। वे हम निहत्थों को क्यों मारेंगे?" मगर जब गोली की कर्णभेदी आवाज आकाश को कंपाने लगी तो वक्ता ने कहा—"घबड़ाओ नहीं, वे हवाई फायर कर रहे हैं।"

मगर इस कथन के साथ ही रक्त से लोगों की पैंट कमीजों का रंगना शुरू हो गया और मृतक व घायल धराशायी होने लगे।

निस्सहाय नागरिकों को कुछ नहीं सूझता था कैसे प्राण बचाएं, इस अप्रत्याशित हमले से। यह भी पता न था कि सभा करना गैरकानूनी घोषित हो चुका है। तो फिर उनसे तितर-बितर होने के लिए क्यों नहीं कहा गया, गोली चलाने से पूर्व?

मगर यह सोचने का अवकाश न था और अंग्रेजी जनरल पर तो खून सवार था। अपनी समझ में वह युद्धस्थल में शत्रुसेना पर आक्रमण कर रहा था।

हुक्म देता है—"ऊपर नहीं, गोली नीचे चलाओ।" और बन्दूकें थोड़ा नीचे हो जाती हैं। अब गोलियां घनी भीड़ को छेद रही हैं। एक साथ कितने ही व्यक्तियों को भून देने वाली गोलियां।

भीड़ में से कोई कहता है। जाहिर है, वह कोई रिटायर्ड फौजी है—लेट जाओ, जमीन पर लेटो।

कितने ही आदमी जमीन पर लेट जाते हैं। शायद इस प्रकार गोली उन्हें नहीं लगेगी।

मगर नहीं, गोलियां उन्हें तलाश कर लेती हैं। जनरल डायर ने आदेश दिया है—उंगली से इशारा किया है—लेटे हुए लोगों पर निशाना साधो।

हड़बड़ी में भीड़ का रुख उन दो-चार संकरे स्थानों की ओर हो जाता है जहां से एकाध व्यक्ति मुश्किल से बाग से बाहर निकल सकता था। उन जगहों पर धक्का-मुक्की होती है, गहरी भीड़ हो जाती है। जो जल्दी निकलेगा, बचेगा।

मगर बचने की कोशिश में भागने वाले भी नहीं बच पाते हैं।

डायर ने आदेश दिया है—वहां, उन स्थानों पर जहां भीड़ गहरी है, निशाना लगाओ।

और दूसरे ही क्षण वहां मृतकों और घायलों के ढेर लग जाते हैं।

डायर ने तय किया है, सभा में आनेवाले एक-एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने का।

सभा भंग हो जाती है, जनता भागने लगी है—मगर गोली चलना जारी रहता है। डायर का कहना है सभा भंग होने से क्या, जब तक एक भी आदमी दिखाई दे रहा है, गोली चलेगी।

तब तक सैकड़ों मृतक और घायलों से मैदान भरने लगा था। थोड़ी दूर एक पांच-छः फुट ऊंची दीवार थी, उस पर चढ़ कर बाहर निकलने की कोशिश में हजारों आदमी जुटे हुए थे। तभी जनरल डायर ने उंगली उठा कर उस दिशा की ओर गोली चलवाना शुरू कर दिया। दीवार के इस तरफ तो लाशों के ढेर लग ही गए दूसरी ओर भी यही हाल था। जो दीवार पर चढ़ने के प्रयत्न में सफल होकर नीचे गिर जाते थे, वे भीड़ के पैरों से कुचल जाते थे। जिधर लोग भागते थे उधर गोलियां उनका पीछा करती थीं।

थोड़ी देर बाद दीवार के नीचे मृतकों के ढेर लग गए और बेतहाशा भीड़ उन पर पैर रख कर दीवार फांदने में लग गई। गोलियां अभी भी उसी दिशा में चल रही थीं और प्रतिक्षण मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी।

बाग में एक कुआं था, घबड़ाए हुए लोग उस कुएं में कूद पड़े। मगर फिर जो कूदनेवालों का तांता लग गया उससे पहले कूदनेवाले दब कर मर गए।

गोली दस मिनट तक चलने के बाद बन्द हुई। तब तक 1650 राउंड गोलियां चली थीं और 337 आदमी, 41 बच्चे (अंग्रेजों के कथनानुसार) मारे जा चुके थे और 1500 घायल हुए थे। जबकि मोतीलाल कमेटी का अनुमान था कि मरनेवालों की संख्या एक हजार से कम न थी।

इसके बाद डायर ने सेना को वापस मार्च का हुक्म दिया। घायलों को सहायता पहुंचाने या लाशों को हटाने की उसने कोई चिन्ता न की। यह उसका काम न था। उसको इसकी भी कुछ फिक्र न थी कि कर्फ्यू लगे रहने पर लोग कैसे अपने हताहत कुटुम्बियों को ले जाएंगे।

शाम 5–30 बजे गोलीबारी बन्द हो चुकी थी और गोरा पल्टन लौट चुकी थी, मगर फिर भी इतना भय व्याप्त था कि उसके काफी देर बाद तक लोग अपने प्राण बचाने के लिए इधर-उधर भागते रहे। बाहर निकलने के उन संकरे रास्तों में बेतहाशा भीड़ भरी जा रही थी। दूसरी ओर से उन लोगों की भीड़ अन्दर बाग में घुसने का अथक प्रयत्न कर रही थी जिनके सगे सम्बन्धी अन्दर भीड़ में थे या मृतक व घायल हो चुके थे। जलियांवाला बाग उस समय हाहाकार, चीत्कार,

करुण क्रन्दन से भरा हुआ था । लगता था दिशाएं रो उठी हैं—घायलों की कसक-कराह, मरते हुए व्यक्तियों की अन्तिम चीत्कार और सिसकियां सारे वातावरण को मौत के साम्राज्य में बदल रही थी।

खास तौर से बाग के पीछे की ओर वाले उन दो संकरे निकासों पर जिन पर डायर ने उंगली का इशारा करके गोली वर्षा कराई थी, लाशों और घायलों के ऊंचे ढेर बन गए थे । उनमें कहीं-कहीं कोई टांग या हाथ ऊपर हिलने की चेष्टा में उठता और फिर शिथिल होकर नीचे गिर जाता । बीच में जहां-तहां लाशें बिछ गई थीं और कहीं-कहीं तो लाशों के ढेर लग गए थे । बीच-बीच में घड़ियों, छड़ियों, फाउंटेनपेनों, और छोटे-मोटे आभूषणों की दरी जैसी बिछ गई थी।

इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी लाला गिरधारी लाल, डिप्टी चेयरमैन पंजाब चैम्बर आफ कामर्स का कहना है—

"मकान की छत से मैं दूरबीन से देख रहा था··· मैंने देखा कि कई फौजी अपने हाथों में बन्दूक थामे बाग में घुसे । महारानी की मूर्ति के नीचे होकर । दो पंक्तियों में वे हंसली की ओर बढ़े । यह एक चबूतरा सा है । ···अचानक गोली चलाने का आदेश दिया गया । भीड़ को तितर-बितर होने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई । ··· 10–15 मिनट तक लगातार गोली चली । घटनास्थल पर सैंकड़ों व्यक्ति मैंने मरते हुए देखे । शीघ्र गोली चलानेवाली बन्दूकों का इस्तेमाल किया गया था । सबसे दर्दनाक बात तो यह थी कि जिस दरवाजे से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस पर निशाना लगाकर गोलियां चलाई गई । बाग से बाहर निकलने के लिए बहुत छोटे-छोटे चार रास्ते थे मगर उन सभी पर गोली वर्षा हो रही थी । जहां घनी भीड़ थी उन स्थलों पर भी निशाना लगाया गया ।

"बाग में पहुंचते ही मैंने देखा मृतकों की लाशों के ढेर पड़े हैं । मैं अपने भतीजे रामलुभाया की तलाश में गया था । उसका शरीर गोलियों से छलनी हो रहा था । सिर फट गया था । ऊपर के होंठ पर भी गोली लगी थी । बाईं ओर भी दो गोलियां लगी थीं । जांघ पर तीन गोलियां लगी थीं । रामलुभाया की उम्र 17 वर्ष की थी और उसने अभी अभी बैजनाथ हाई स्कूल से आठवीं पास की थी ।"

कटरा जलियांवाला के एक निवासी खुशालसिंह के शब्दों में—"गोली बन्द होने के बाद मैंने अपनी बैठक खोली और पास के संकरे मार्ग से बाग में गया तो देखा लाशों के ढेर लगे हैं। मेरी बैठक से बाग तक पूरा रास्ता मृतकों से भरा पड़ा था । मेरी गली में ही 50 लाशें थीं, सामने बाग में 100–150 लाशों का ढेर था । मैं सारे बाग में घूमा । दो हजार मृतक हताहत होंगे । मृतकों में बच्चे और शिशु भी थे ।"

एक महिला श्रीमती अतर कौर, ने जिसके पति की हत्या भी उसी रोज उस हत्याकाण्ड में हुई थी, अत्यन्त मर्मस्पर्शी वर्णन करते हुए बताया कि लगभग चार महीने बाद एक पुलिस अधिकारी उसके घर पर आया और उसे 25 हजार रुपए देने चाहे ताकि वह हंटर कमेटी के सामने न आए। पति की मृत्यु से दुखी उस महिला ने बड़ी विनम्रता से वह धनराशि लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि मैं अपने पति के मृतक शरीर को बेचना नहीं चाहती हूं ।

एक अन्य व्यक्ति ने जिसे गोली लगी थी बताया कि जहां मैं घायल पड़ा था वहीं एक 12 साल का लड़का मरा पड़ा था, उसकी गोद में तीन साल की एक बच्ची थी। दोनों को गोली लगी थी ।

इस लोमहर्षक और बर्बर हत्याकांड के नायक जनरल डायर के कार्य को पूर्णतः उचित ठहराते हुए, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकेल ओडायर ने उसे अपनी सहर्ष स्वीकृति दी ।



BRITISH GENERAL DYER CONDUCTED SOLDIERS FOR – FIRING INNOCENT INDIANS THROUGH THIS PASSAGE

अंग्रेज़ जनरल डायर फौजी सिपाहिओं के साथ गोली चलवाने के लिये इस रास्ते से अन्दर आ[illegible]

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ॥

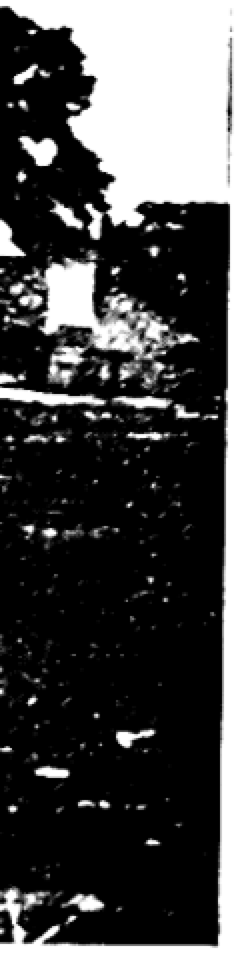
[illegible]



जलियांवाला बाग जहां अब उन अज्ञात शहीदों की स्मृति में एक समाधि बनाई गई है



खूनी कुआं जो शहीदों की लाशों से पट गया था। उनकी पवित्र स्मृति में देशवासी यहां अब फूल चढ़ाते हैं

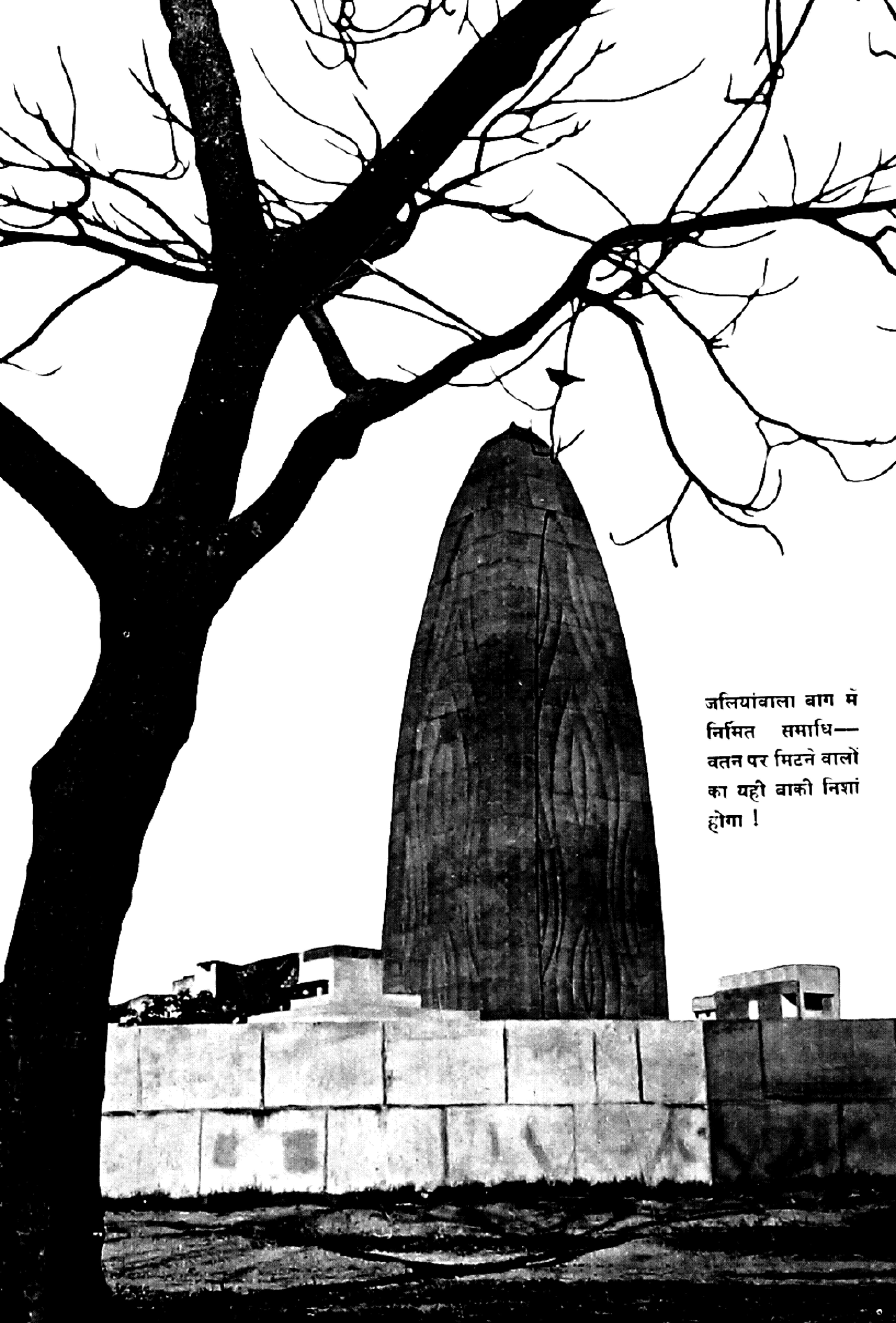




जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के छेद भारत माता की छाती के घाव है



ऊधमसिंह जिसने विलायत में जाकर पंजाब के जालिम गवर्नर सर माइकेल ओडायर को गोली मारी (चित्रकार : गुरदीतसिंह)



जलियांवाला बाग में निर्मित समाधि—वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा !

दमन का दौर

जलियांवाला बाग में वीभत्स गोलाबारी का समाचार सारे देश में बिजली की तरह फैल गया। अंग्रेजों के पाशविक प्रदर्शन को देखकर देशवासी स्तब्ध रह गए। सभ्यता और न्याय का शोर करने वाली अंग्रेजी सरकार के मुंह से इस हत्याकांड ने नकाब ही उठा दी। पंजाब में तो असंतोष की अग्नि धधक उठी। यद्यपि इस नृशंस घटना मे न केवल अमृतसर बल्कि पंजाब के अन्य नगरों में भयानक आतंक फैल गया था। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकेल ओडायर ने व्यापक पैमाने पर पंजाब में मार्शल ला लगा दिया। महीनों तक पंजाब के कई जिलों में यह फौजी कानून लगा रहा और इस पर बड़ी कठोरता से अमल किया गया। फौजी कानून के प्रशासकों ने असाधारण निर्दयता और बर्बरता से काम लिया था।

फिर तो जनता का क्रोध अंग्रेज मात्र के विरोध में प्रज्वलित हो गया और स्थान-स्थान पर रेल की पटरियां, तार आदि उखाड़ कर फेंक दिए गए। व्यापक प्रदर्शन और तोड़फोड़—एक प्रकार से शासन ठप्प करने के सभी प्रयत्न दृष्टिगोचर होने लगे। लगता था कि अंग्रेजी राज अपनी समाप्ति पर ही है।

इसके साथ ही फौजी कानून की निर्दयता दिनोंदिन बढ़ती गई। नाना प्रकार के भीषण अत्याचार, दमन एवं आतंकपूर्ण कार्रवाइयों से सारा देश थर्रा उठा। जनरल डायर को अपने कुकृत्यों पर गवर्नर की तथा उच्च अधिकारियों की स्वीकृति मिल जाने से हिम्मत और भी बढ़ गई और उसने अपनी बदनाम 'रेंग कर चलने की वीभत्स आज्ञा' चालू की। इसके अनुसार जिस गली में संघर्ष के दिनों में मिस शेरवुड नाम की एक यूरोपियन मिशनरी को लोगों ने अपमानित किया या पीटा था, उस स्थान पर एक तिपाई सी गाड़ दी गई जिस पर टांगकर कुछ लोगों के खुलेआम नंगे बदन कोड़े लगवाए गए। कोड़े लगने से वे नवयुवक बेहोश हो जाते थे, उन पर पानी छिड़क कर उन्हें फिर होश में लाया जाता था और अंग्रेज महिलाएं पास खड़ी मुस्कराती थीं। गोरे फौजी खड़े होकर चिल्लाते रहते थे——और जोर से पीटो, और जोर से मारो। इस प्रकार लोगों को सामूहिक रूप से कोड़े लगाए जाते थे और मनमाने दण्ड दिए जाते थे। स्मरण रहे कि यह किसी विद्रोही को दण्ड देने के लिए नहीं वरन् लोगों को आतंकित और अपमानित करने के लिए ही किया जाता था।

कुछ दिन बाद जनता का क्रोध इतना उग्र हो गया कि सर माइकेल ओडायर ने फौजी विमान मंगा लिए और गुजरांवाला सहित अन्य कई स्थानों पर बाकायदा बमबारी कराई और कई स्थानों पर विमानों की मशीनगनों से गोलियां चलवाईं।

पंजाब में चारों ओर आतंक का राज्य था। गुजरांवाला में हुक्म था कि हिन्दुस्तानी अगर सवारी पर जाते हों तो उतर कर यूरोपियन लोगों को सलाम करें। लायलपुर में चौदह वर्ष के ऊपर के हर लड़के को सवेरे सरकारी दफ्तर के सामने परेड करना पड़ता था और यूनियन जैक को सलाम करना पड़ता था। लाहौर में करीब ढाई सौ आदमियों को खुलेआम चाबुक लगाए गए। सनातन धर्म कालेज के प्रोफेसरों और लड़कों को पैदल मार्च करा कर लाहौर किले में ले जाया गया और वहां 30 घण्टे तक बन्द रखा गया, इसलिए कि कालेज के अहाते पर चिपकी हुई मार्शल ला की नोटिस को किसी ने फाड़ दिया था। एक हजार लड़कों को हर रोज 16 मील पैदल चलाकर उनकी हाजिरी ली जाती थी। पूरी बारात को पकड़ कर बेंत लगाए गए। स्कूलों के बड़े

लड़कों को महज इसलिए बेंत लगवाए जाते थे कि वे बड़े हैं। छोटे-छोटे बच्चों को भी पांच-पांच मील पैदल चलाकर ले जाया जाता था कि वे अंग्रेजी झण्डे को सलाम करें। लाहौर में बादशाही मस्जिद छः हफ्ते के लिए बन्द कर दी गई। लोगों को कमर में रस्सा बांध कर और हथकड़ी बेड़ी से जकड़ कर जानवरों की तरह खुले ट्रकों में और लोहे के पिंजरों में बन्द रखा जाता था। हिन्दू-मुसलमानों की एकता का मजाक उड़ाने के लिए उन्हें एक साथ हथकड़ियों से जकड़ दिया जाता था। हिन्दुस्तानियों के घरों से बिजली के पंखे उतार कर यूरोपियन लोगों को दे दिए गए। उनके घरों में बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। उनकी गाड़ियां जब्त करके गोरों को दे दी गई।

इन अत्याचारों के बारे में मिसेज ऐनी बेसेंट ने कहा कि जर्मन लोगों ने बैल्जियम में जो अत्याचार किए उनसे यह जरा भी कम नहीं है।

अमृतसर के इस भयानक हत्याकाण्ड का एक प्रत्यक्षदर्शी था वहां के अनाथालय में पला 16 साल का एक लड़का ऊधमसिंह। यह अनाथालय के और लड़कों को साथ लेकर जलियांवाला बाग में हताहतों की मदद करने गया था। अपने देशवासियों की दुर्दशा देखकर उसने उसी दिन संकल्प किया कि मैं अत्याचारी ओडायर से बदला लेकर रहूंगा।

पंजाब के इन भयानक अत्याचारों ने सारे देश को हिला दिया। चारों तरफ से सरकारी नीति का विरोध होने लगा। 19 जुलाई को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इन अत्याचारों के विरोध में सर शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया।

महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी सर की उपाधि लौटाते हुए सरकार को लिखा––मैं अपने पद-दलित और पीड़ित देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं और मैं इस सम्मान को लौटा रहा हूं।

महाकवि रवीन्द्रनाथ द्वारा उपाधि के परित्याग एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विरोध का प्रभाव अंग्रेजी सरकार पर पड़ा। इसी बीच महामना मदनमोहन मालवीय और उनके सहयोगियों के अथक प्रयत्न के फलस्वरूप अधिकाधिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ा जिन्होंने पंजाब की दुखद घटनाओं के सम्बन्ध में 92 अन्तर्भेदी प्रश्न तैयार किए और उन्हें कौंसिल में पेश किया। इससे घबड़ाकर अंग्रेजी सरकार ने एक जांच समिति की स्थापना की जो जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड तथा पंजाब में व्यापक असंतोष की घटनाओं की जांच करे। इस कमेटी में चार यूरोपियन और तीन भारतीय सदस्य थे। लार्ड हंटर इस समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय सदस्यों में सर चिम्मन-लाल सीतलवाड और साहिबजादा सुल्तान अहमद और पण्डित जगतनारायण थे, जिन्होंने अपना पृथक निर्णय दिया था और स्पष्टतः जनरल डायर और ओडायर को इन घटनाओं के लिए दोषी ठहराया। वैसे हंटर कमेटी ने भी जनरल डायर की निन्दा की और उसे भारत में कोई उच्च पद न देने की सिफारिश की।

हंटर कमेटी के सामने जनरल डायर को जब पेश किया गया तो उसने बड़ी उद्दण्डतापूर्वक अपने सभी कार्यों को उचित ठहराया और अपने कर्तव्यनिष्ठ होने का नाटक करता रहा। कर्तव्य के नाम पर निहत्थों पर अन्धाधुंध गोली चलाना, बिना सूचना और चेतावनी के गोलीवर्षा आरम्भ कर देना, भागने वालों और यहां तक कि लेटनेवालों पर भी बाकायदा निशाना लगाकर आक्रमण करना, मानो उस व्यक्ति का "कर्तव्य" था। दूसरी ओर घायलों और मृतकों को वहां यों ही छोड़कर न जाना तथा उनकी देखभाल करना उसका कर्तव्य नहीं था।

हंटर कमेटी में जब एक भारतीय वकील ने उससे प्रश्न किया––

"क्या तुम अपने साथ फौजी ट्रक ले गए थे ?"

"हां।"

"क्या इन ट्रकों में मशीनगनें थीं ?"

"जी हां ।"

"क्या तुम मशीनगनों से भी गोली चलाते ?"

"हां, यदि आवश्यक होता तो मेरा ख्याल है, मैंने ऐसा किया होता ।"

"क्योंकि तुम उन गाड़ियों को दरवाज़े के अन्दर नहीं ले जा सके इसीलिए तुमने मशीनगनों का इस्तेमाल नहीं किया ?"

"मैंने उत्तर दे दिया है । मैंने यह कहा है कि अगर बाग में मेरे पास मशीनगनें होतीं तो मैंने उनका प्रयोग किया होता ।"

"सीधे मशीनगनों से ही ?"

"हां, मशीनगनों से ।"

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कोई चेतावनी आदि न देकर जनरल डायर ने एकदम सीधे गोली चलाने का आदेश दिया, यह किसी भले आदमी की समझ में आने वाली बात न थी । अतः लार्ड हंटर ने खास तौर से पूछा :

"बाग में घुसते ही तुमने क्या किया ?"

"मैंने गोली चलवाई ।"

"तुरन्त ?"

"एकदम । 30 सेकंड में ही मैंने सोच-समझ कर अपना कर्त्तव्य तय कर लिया ।"

"सभा में उपस्थित लोग क्या कर रहे थे ?"

"वह सभा कर रहे थे । मंच पर एक वक्ता था । स्पष्ट है, वह हाथ हिलाकर भाषण कर रहा था । वह हमसे 50-60 गज़ दूर था ।"

बाद में जनरल डायर से पूछा गया कि--"सभा में ऐसे भी अनेक व्यक्ति थे जिन्होंने सभा आदि न करने की घोषणा या चेतावनी ही नहीं सुनी थी ? क्या ऐसे लोगों को सावधान नहीं करना चाहिए था कि वे तितर-बितर हो जाएं वरना गोली चला दी जाएगी ।" इस प्रश्न का उत्तर था--

"जी नहीं, उस समय मैंने यह नहीं किया । मेरा तो ख्याल था कि इन लोगों ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है और मार्शल ला को भंग किया है । उन पर गोली चलाना मेरा कर्त्तव्य था ।"

जनरल डायर का एक अत्यन्त कुप्रसिद्ध मगर महत्वपूर्ण बयान था--

सरकारी रिकार्ड गवाह है कि पंजाब में मार्शल ला उक्त हत्याकांड के बाद में लागू की गई थी ।

इसी समिति के समक्ष जनरल डायर ने यह भी स्वीकार किया कि उसने भागते हुए, बचते हुए लोगों पर निशाना साधने के लिए आज्ञा दी । यही नहीं, प्राण रक्षा के लिए जो लोग ज़मीन पर लेट गए उन पर भी उसने इसलिए गोली चलाई कि "वह पूरे पंजाब को एक पाठ पढ़ाना चाहता था ।"

"मैंने गोली चलाई और तब तक गोली चलाना जारी रखा जब तक कि भीड़ बिलकुल तितर-बितर न हो गई । यदि मेरे पास और अधिक फौज होती तो घायलों और मृतकों की संख्या कहीं अधिक होती । मेरे सामने सिर्फ भीड़ को तितर-बितर करने का प्रश्न ही नहीं था बल्कि मैं एक आतंक स्थापित कर देना चाहता था जो सैनिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक था ।"

सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि उच्च अधिकारियों ने तथा अंग्रेजों के एक वर्ग ने जनरल डायर की पीठ थपथपाई थी और उसे 'पंजाब में शांति स्थापना' करने वाला तथा 'लड़खड़ाते अंग्रेजी साम्राज्य का संरक्षक'

घोषित किया था। यही नहीं उसको पदोन्नत कर थाल के मोर्चे पर भेज दिया गया था किन्तु बाद में चतुर्मुखी विरोध के कारण अंग्रेजी सरकार विवश हुई और उसने डायर को पदमुक्त करके इंग्लैण्ड वापस बुला लिया।

अंग्रेजों में एक वर्ग ऐसा था जो इस हत्याकाण्ड और 'विद्रोह के दमन के निश्चयात्मक कदम' के लिए जनरल डायर की पीठ थपथपा रहा था। यहां तक कि उसको लड़खड़ाते ब्रिटिश राज का उद्धारक तक घोषित किया गया और चन्दा करके उसको इंग्लैंड में एक बड़ी धनराशि अर्पित की गई। पूरा टोरी दल उसे 'वीर' घोषित करने में लगा था। हाउस आफ लार्ड्स ने भी डायर के पक्ष का समर्थन किया।

कलकत्ता कांग्रेस (1920) में तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट के प्रति घोर असंतोष और असहमति प्रकट करते हुए, यह कहा गया कि उस रिपोर्ट में "दोषी अफसरों के आचरणों के सम्बन्ध में जो कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है, वह मामले की गम्भीरता को देखते हुए बहुत ही हल्का है और उसने ब्रिटिश जनता राज की निष्पक्षता पर से भारतवासियों का विश्वास उठा दिया है।"

कांग्रेस द्वारा जांच

अंग्रेजी राज के विरोध में प्रबल विक्षोभ की लहर मारे भारत में फैली हुई थी। गांधी जी को पंजाब में प्रवेश करने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई थी परन्तु बाद में जनमत के दबाव से अक्टूबर मास के मध्य में उन्हें पंजाब में आने दिया गया क्योंकि उन्हें कांग्रेस द्वारा नियुक्त जांच समिति द्वारा इस रक्तरंजित अध्याय की पूरी-पूरी जांच करनी थी।

कांग्रेस द्वारा नियुक्त इस जांच समिति के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। अन्य सदस्य थे—देशबन्धु चित्तरंजनदास, अब्बास तैयब जी और श्री एम० आर० जयकर। इस जांच समिति का पूरा काम गांधी जी के सुपुर्द किया गया था और उनको ही स्थान-स्थान पर घूमकर इस हत्याकांड से सम्बन्धित तथ्य एवं अन्य सामग्री इकट्ठी करनी थी। अमृतसर का इलाका खास तौर से देशबन्धु चित्तरंजनदास को दिया गया था और उनके कार्य में सहायता करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजा गया था।

इस जांच समिति ने हजारों लोगों की गवाही ली और हाल यह था कि पंक्तिबद्ध लोगों की भीड़ स्थान-स्थान पर अपनी दुख गाथा सुनाने के लिए इस समिति के पास पहुंचती रही। सरकारी कमेटी अर्थात् हंटर कमेटी के सम्मुख जाने वाले लोगों की अपेक्षा कांग्रेस जांच समिति को अधिक जन समर्थन मिला।

कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट 25 मार्च, सन् 1920 को प्रकाशित की गई। इसके बारे में गांधी जी ने लिखा कि मैं सिफारिश करूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो पंजाब के लोगों पर हुए भयंकर दमन एवं अत्याचार की कहानी सुनना चाहता है तो वह इस रिपोर्ट को अवश्य पढ़े ·······। इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया गया।

पूरी घटनाओं की विस्तृत जांच-पड़ताल के पश्चात इस समिति ने निर्णय दिया कि सरकार और खास तौर से सर माइकेल ओडायर ने ही तमाम भड़काने वाले काम किए और इस नृशंस काम के लिए सर माइकेल ओडायर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अतः उसको अविलम्ब पदमुक्त कर दिया जाए। रौलट एक्ट वापस लिया जाए और जनरल डायर तथा अन्य सम्बन्धित अंग्रेज अधिकारियों को कोई भी उत्तरदायित्वपूर्ण पद न दिया जाए और वाइसराय को भी वापस इंग्लैण्ड बुला लिया जाए। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने तो उलटे माइकेल ओडायर की प्रशंसा की।

खून का बदला

जलियांवाला बाग का हत्यारा जनरल डायर वर्षों बीमार रहने के पश्चात् मर चुका था। हंटर कमेटी द्वारा निन्दा किए जाने पर सन 1920 में जब सेना से हटा कर उसे वापस इंग्लैण्ड भेज दिया गया था, तब से निरन्तर अस्वस्थ रहने के कारण 23 जुलाई, 1927 को उसकी मृत्यु हो गई थी। मगर पूरी घटनाओं का उन्नायक और सूत्रधार सर माइकेल ओडायर अभी जीवित था।

पंजाब के गवर्नर पद से मुक्त होकर वह भी इंग्लैंड वापस चला गया था। वीरभूमि पंजाब पर उसके निरंकुश शासन और अत्याचारों से लगी आग अभी राख नहीं हुई थी कि उसके समर्थकों ने पुरस्कार-स्वरूप उसे 20 हजार पौंड की थैली भी भेंट की। भारत के प्रति उसकी अदम्य दुर्भावना 'भारत जैसा मैंने जाना' नाम की पुस्तक से भी प्रकट होती थी जिसे उसने इंग्लैण्ड लौट कर लिखा। सर शंकरन नायर पर उसने इंग्लैण्ड की अदालत में अपनी मानहानि का मुकदमा चलाया और अंग्रेज जज ने उसके पक्ष में फैसला दिया। जनरल डायर के काम को सही ठहराया और उसे रिटायर करने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की।

इस नाटक का पटाक्षेप हुआ मार्च सन 1940 की तेरह तारीख को। लन्दन का एक भीड़ से भरा हुआ सभा कक्ष। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रायल सेंट्रल एशियन सोसाइटी द्वारा कैक्स्टन हाल में एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी। सर माइकेल ओडायर भाषण कर रहा था कि अचानक एक नवयुवक आगे बढ़ा और अपनी पिस्तौल का निशाना साध कर उसने दो फायर किए। दूसरे ही क्षण सर माइकेल ओडायर धराशायी होकर मंच से नीचे आ गिरा।

यह युवक था ऊधमसिंह जो जलियांवाला हत्याकांड के दिन 16 वर्ष का किशोर था। गिरफ्तार होने पर उसने अपना नाम राममुहम्मदसिंह आजाद बताया जो कि हिन्दू-मुस्लिम-सिख एकता और स्वतन्त्रता के लक्ष्य का प्रतीक था। जलियांवाला बाग के रोमांचकारी स्थल पर किए हुए अपने प्रण को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर न जाने कैसे-कैसे विलायत पहुंच पाया था। मगर जालिम डायर की तो मौत हो चुकी थी। अब तो केवल सर माइकेल ओडायर ही जीवित था। उसने स्वयं बताया कि, "जलियांवाला बाग का हत्याकांड मैंने अपनी आंखों से देखा था और उसी दिन से अंग्रेजी राज और यह व्यक्ति दोनों मेरे लिए घृणा के पात्र बन चुके थे। सर माइकेल ओडायर का क्रूर एवं नृशंसतापूर्ण शासन, हृदयद्रावक अत्याचार और भयानक दमन मेरी स्मृति से कभी निकल नहीं सके। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस खून का बदला लूंगा और मुझे हर्ष है कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर आज 21 वर्ष बाद उस हत्याकाण्ड का बदला ले रहा हूं और इस प्रकार अपनी मातृभूमि के चरणों में अपने प्राणों की यह तुच्छ भेंट प्रस्तुत कर सका हूं।"

12 जून, सन 1940 को नवयुवक ऊधमसिंह को प्राणदण्ड मिला और मातृभूमि पर सिर चढ़ानेवाले शहीदों की सूची में एक और नाम जुड़ गया।

वह महत्वपूर्ण वर्ष

"यदि प्लासी के मैदान में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी गई थी तो अमृतसर में वह हिल गई थी।" ये शब्द हैं इतिहासकार श्री तेंदूलकर के। गांधी जी के मतानुसार—"जलियांवाला बाग तो केवल एक शुरूआत थी। विश्व में गौरवपूर्ण स्वाधीनतापद प्राप्त करने के लिए हमें इससे भी अधिक कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अतः यह हिम्मत हारने की बात नहीं बल्कि हिम्मत मजबूत करने की बात है।" लाला लाजपतराय ने भी कहा था "यह दिवस एक नए युग का प्रारम्भ है।" सन 1919 का सम्पूर्ण वर्ष ही भारतीय इतिहास में अंग्रेज द्वारा किए गए 'सुधार' के कारण नहीं बल्कि जलियांवाला बाग के कारण इतिहास में अमर रहेगा।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जलियांवाला की स्मृति में उसी वर्ष लिखा—"सत्याग्रह का दिन और तमाम देश भर में हड़ताल का होना और सारे काम-काज का ठप्प हो जाना, दिल्ली और अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा की गई गोलीबारी, अहमदाबाद और अमृसतर में हुई हिंसात्मक प्रतिक्रियाएं, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, पंजाब में व्याप्त फौजी कानून की यादगारें हैं।"

लुई फिशर का यह कथन है कि जलियांवाला बाग की घटना से भारत के राजनीतिक क्षेत्र में गति आ गई और उसने शीघ्र ही महात्मा गांधी को राजनीति के प्रवाह में खींच लिया। यद्यपि गांधी जी ने सत्याग्रह जलियांवाला से पहले ही प्रारम्भ किया था किन्तु फिर भी किसी को उसकी सफलता की इतनी अधिक आशा नहीं थी। जलियांवाला बाग के कारण हमारी स्वाधीनता के संघर्ष में बहुत तेजी आ गई। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है—"अमृतसर कांग्रेस का यह अधिवेशन वास्तव में प्रथम गांधी अधिवेशन था।" दूसरी बार पंजाब में कांग्रेस का अधिवेशन 10 वर्ष बाद सन 1929 में हुआ। उसमें बोलते हुए गांधी जी ने कहा था—"आज दस वर्ष बाद भी हमें जलियांवाला बाग की स्मृति अनायास हो आती है और उस समय का फौजी कानून और उसकी तमाम विभीपिकाओं का स्मरण हो आता है। अमृतसर कांग्रेस के पश्चात ही असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ था। इन दस वर्षों में भारत में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं और उसका रूप ही बदल गया है। उस समय जब रौलट बिलों के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया था तो वह कदम भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण था। आखिर मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि उन असाधारण कानूनों की उपयोगिता क्या थी।"

अमृतसर कांग्रेस में बोलते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू ने 27 दिसम्बर, 1919 को कहा था—"हमारे देश के इतिहास में जलियांवाला दिवस एक महत्वपूर्ण दिन था। हमारे शांत एवं विशाल प्रदर्शनों ने सत्याग्रह का वास्तविक रूप प्रकट किया था·······। पंजाब के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन अभी बहुत कुछ कहना शेष है।

इस घटना के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए। लोगों ने अपनी उपाधियां और सम्मानसूचक खिताब सरकार को वापस करने प्रारम्भ कर दिए। स्थानीय संस्थाओं से इस्तीफे दे दिए, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी समारोहों का बहिष्कार, और फौजियों का मैसोपोटामियां में जाने से इंकार करना, चुनी हुई परिषदों के चुनाव में भाग न लेना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना और खादी का प्रचार करना आदि ऐसे काम प्रारम्भ हुए जिन से आगे जाकर भारत की स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

जलियांवाला बाग की स्मृति ने देश के आजादी आन्दोलन को प्रबल प्रेरणा दी। पंजाब से लेकर मद्रास तक देश के कोने-कोने में आजादी के लिए उत्साह और एकता की लहर दौड़ गई। प्रति वर्ष 6 अप्रैल से 13 अप्रैल का रक्तरंजित सप्ताह राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा। और 13 अप्रैल के दिन देश के कोने-कोने में नर-नारी एकत्र होकर जलियांवाला बाग के शहीदों को याद करते और स्वतन्त्रता के संकल्प को दोहराते। वास्तव में जलियांवाला बाग में चली गोलियों ने भारत में अंग्रेजी राज के किले को ढाह दिया।

आज उस रक्तरंजित घटना को हुए 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह घटना अब संसार के इतिहास का एक अमिट पृष्ठ बन चुकी है।

वतन पै मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा

जलियांवाला वाग की ऐतिहासिक शहादत के पश्चात भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में यह स्थान एक पवित्र स्मारक बन गया। उसी वर्ष के अन्त में जब अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तो देश के कोने-कोने से हजारों नर-नारी उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। जनता द्वारा धन संग्रह करके जलियांवाला बाग के उस पावन स्थान का अधिग्रहण करके उसे राष्ट्रीय रूप दे दिया गया।

और उन अज्ञात शहीदों की स्मृति में उस स्थल पर एक समाधि निर्मित की गई जो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं के सर्वथा अनुरूप है। तब से निरन्तर अनेकों नर-नारी इस राष्ट्रीय तीर्थस्थान पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। देश से ही नहीं विदेश से आगन्तुक यात्री भी उन अज्ञात शहीदों के प्रति सम्मान प्रस्तुत करने पहुंचते हैं। इनमें बहुत से अंग्रेज भी रहे हैं। जलियांवाला में रखी हुई वह हस्ताक्षर पंजिका ऐसे ही कई विदेशी यात्रियों के हस्तलेख अपने वक्ष में छिपाए है जिसमें उन्होंने लिखा—"इस अमानुषिक हत्याकांड और सभ्यता के नाम पर कलंक के समान अत्याचार के कारण यूरोपियन होने के नाते हमने बड़ी ग्लानि अनुभव की है।"

नेहरू जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'विश्व इतिहास की झलक' में लिखा है : **"उस वर्ष से ही तेरह अप्रैल हमारा राष्ट्रीय दिवस हो गया है, और छः अप्रैल से तेरह तक के आठ दिन राष्ट्रीय सप्ताह। आज जलियांवाला बाग राष्ट्रीय तीर्थस्थान है। अब नए और आकर्षक ढंग से उसका पुर्ननिर्माण हो गया है और पहली भयंकरता नहीं रह गई है। किन्तु उसकी याद आज भी हमारे हृदय में मौजूद है।"**

निःसन्देह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।

कवयित्री सुभद्राकुमारी चौहान के शब्दों में—

यहां कोकिला नहीं, काक हैं शोर मचाते,
काले काले कीट, भ्रमर का भ्रम उपजाते।
कलियां भी अधखिली, मिली हैं कण्टक कुल से,
वे पौधे, वे पुष्प, शुष्क हैं, अथवा झुलसे।
परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है,
हा! यह प्यारा बाग, खून से सना पड़ा है,
आओ प्रिय ऋतुराज! किन्तु धीरे से आना
यह है शोक स्थान यहां मत शोर मचाना।
वायु चले पर मन्द चाल से उसे चलाना
दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना।

कोकिल गावे, किन्तु राग रोने का गावे ।
भ्रमर करे गुंजार, कष्ट की कथा सुनावे ।
        लाना संग में पुष्प, न हों वे अधिक सजीले
        दें सुगन्ध भी मन्द, ओस से कुछ-कुछ गीले
        किन्तु न तुम उपहार भाव आकर दरसाना
        स्मृति में पूजा हेतु यहां थोड़े बिखराना ।
आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं
अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं ।
        कुछ कलियां अधखिली यहां इसलिए चढ़ाना
कोमल बालक मरे यहां गोली खा-खाकर,
कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर
करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना
तड़प-तड़प कर वृद्ध मरे हैं, गोली खाकर
शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर ।
        यह सब करना, किन्तु
        बहुत धीरे से आना
        यह है शोक स्थान
        यहां मत शोर मचाना ।

M76DPD/68—GIPF.